भाग नौ : खण्ड दो

मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002

आदेश, नियम एवं अधिसूचनाएँ

म.प्र. शासन

अधिसूचना क्र. एफ-25-46-98-दस-2 दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 - मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10, सन् 2001) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

[1]नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना - इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 है।

(2) ये मध्यप्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम ऐसे निजी और राजस्व क्षेत्रों को लागू होंगे, जिनके यथास्थिति, भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में स्वैच्छिक रूप से प्रबन्ध किया जाना आशयित है।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001);

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "वन मंडल अधिकारी" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन मंडल अधिकारी;

(घ) "नामांकन अधिकारी" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन मंडल अधिकारी ;

(ड.) "वन क्षेत्रपाल" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन परिक्षेत्र अधिकारी;

(च) "ग्राम सभा" तथा "ग्राम पंचायत" का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) में उनके लिए दिया गया है;

(छ) "लोक वन" से अभिप्रेत है राजस्व भूमि का कोई भाग, जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को वैज्ञानिक प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में हस्तान्तरित किया गया हो और जिसके लिए इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रबन्ध योजना तैयार की गई हो;

(ज) "प्रबन्धन योजना" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन किसी राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिये तैयार की वैज्ञानिक योजना।

3. लोक वानिकी के अधीन प्रबन्धन के लिए आवेदन - (1) कोई भूमिस्वामी, जो किसी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के प्रबन्धन का जिम्मा लेना चाहता है, वन क्षेत्रपाल या वन मंडल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी वन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वृक्ष आच्छादित राजस्व भूमि के प्रबन्धन का जिम्मा लेना चाहती हो तो यथा स्थिति, संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भूमि का सीमांकन करने तथा "लोक वन" के रूप में प्रबन्ध किये जाने के लिए, उनको हस्तांतरित करने हेतु आवेदन करेगा। उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) 30 दिन की कालावधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय करेगा। यदि उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) आवेदक के पक्ष में विनिश्चय करता है तो विनिश्चय करने की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर भूमि का सीमांकन करवाएगा और वह संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरित करेगा। भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् यथास्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए वन क्षेत्रपाल या वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) उप नियम (1) तथा (2) के अधीन आवेदन के साथ यथास्थिति, भूमि के स्वामित्व या भूमि के कब्जे के बारे में घोषणा, सुसंगत अभिलेख सहित, संलग्न होगी।

---

1. ये नियम म.प्र. राजपत्र दिनांक 16.12.02 को प्रकाशित हुए। तद्नुसार 16.12.02 से लागू हुए।

(4) वन परिक्षेत्र अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, पटवारी को घोषणा की प्रति भेजेगा, जो राजस्व अभिलेखों से दावे को सत्यापित करेगा और पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाण पत्र देगा। यदि पटवारी विहित समय के भीतर, प्रमाण पत्र देने में असफल रहता है तो भूमि स्वामी द्वारा दी गयी घोषणा सही समझी जावेगी। तदनन्तर यदि ऐसे अभिलेखों में किसी फर्क का पता चलता है तो पटवारी तथा वह व्यक्ति, जिसने घोषणा दी है, उसके लिए उत्तरदायी होंगे और सुसंगत विधि के अधीन दण्डनीय होंगे।

(5) यदि सीमा, वन भूमि से निकट हो तो वन परिक्षेत्र अधिकारी, सीमा के बारे में स्वयं का समाधार करेगा।

(6) वन क्षेत्रपाल, यथास्थिति भूमि स्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को उपनियम (3) के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने से 45 (पैंतालीस) दिन की कालावधि के भीतर, अभिलेखों के प्रमाणीकरण के बारे में प्रज्ञापन देगा, यदि कोई ऐसी प्रज्ञापना, उपनियम (3) के अनुसार, आवेदन प्रस्तुत होने की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो इस प्रकार प्रस्तुत किए गए अभिलेखों को सही रूप में स्वीकार किया गया समझा जाएगा।

4. प्रबन्धन योजना का तैयार किया जाना - (1) नियम 3 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात्, यथास्थिति, भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को उस क्षेत्र के लिए प्रबन्धन योजना तैयार करवानी होगी।

(2) वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिए प्रबन्धन योजना [1]तैयार करने के लिए भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इस विषय में स्व-विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(3) प्रबन्धन योजना सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

(4) प्रबन्धन योजना में निम्नलिखित विषय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :

(क) इमारती लकड़ी के अवितरित उत्पादन को यथा/या अन्य वन उत्पादों को सुनिश्चित करना ;

(ख) प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करना और/या उपयुक्त प्रजातियों का रोपण करना;

(ग) परिपक्व, अधिक परिपक्व, सूखे तथा रोग ग्रस्त वृक्षों को काटकर गिराना तथा आँधी गिरे हुए वृक्षों को हटाना;

(घ) विरलन तथा कॉट-छाँट करना;

(ड.) फसल के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति में सुधार करना; और

(च) मिट्टी तथा नमी का संरक्षण सुनिश्चित करना।

5. प्रबन्धन योजना की मंजूरी - (1) निजी क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रबन्ध योजना की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, प्ररूप 1 में प्रबन्धन योजना की 5 प्रतियों के साथ वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) "लोकवन" के रूप में प्रबन्ध किये जाने के लिए, प्रस्तावित राजस्व क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रबन्धन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, प्ररूप 2 में प्रबन्धन योजना की पांच प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदन पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा योजना की मंजूरी के लिए यथास्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के एक संकल्प के साथ वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी को, प्रबन्ध योजना में किए गए किन्हीं विधानों की विधिमान्यता को सत्यापित करने के लिए ढवयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से योजना क्षेत्र का निरीक्षण करने की शक्ति होगी। ऐसी कार्यवाही के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित प्रबन्धन योजना में कतिपय संशोधनों का सुझाव दे सकेगा। ऐसे मामले में आवेदक/[2][लुप्त] सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करेगा।

(4) वन मंडल अधिकारी प्रबन्धन योजना को मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। ऐसे मामले में, जहां प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है वहाँ सक्षम प्राधिकारी, प्रबन्धन योजना के प्राप्त होने के पश्चात्, 30 दिन के भीतर, प्रबन्धन योजना को अपने मत के साथ राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

---

1. म.प्र. शासन अधि. क्र. 25-15-05 दस-2 दिनांक 18.1.06 द्वारा संशोधित अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असा.) दि. 15.1.06 पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित।
2. म.प्र. शासन वन विभाग अधि.क्र.एफ 25-15-05 दस.2 दि. 12.1.06 के अनुसार नियम 5 के उपनियम 3, 7, 9 में चार्टर्ड फोरेस्टर लुप्त।

[1](5) ऐसे मामले में जहाँ प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर से कम है, वहाँ सक्षम अधिकारी उसकी मन्जूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन के भीतर, प्रबन्धन योजना की मन्जूरी का विनिश्चय करेगा। यदि कोई आपत्ति हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदक को संसूचित नहीं किया गया है, तो प्रबन्धन योजना 30 दिन की कालावधि की समाप्ति के दिन से मन्जूर की गई समझी जावेगी।

(6) सक्षम प्राधिकारी, निजी क्षेत्र की प्रबन्धन योजना हेतु प्रारूप-3 में तथा "लोक वन" के लिए प्रारूप-4 में मंजूरी का आदेश पारित करेगा। प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन की शर्तें, मंजूरी आदेश की अनुसूची दो/तीन में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(7) प्रबन्धन योजना मंजूर हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, मंजूर की गई योजना की एक प्रति, मंजूरी आदेश के साथ यथास्थिति, संबंधित भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को ([2]लुप्त) भेजेगा। मंजूरी आदेश की एक प्रति, मंजूर की गई प्रबन्धन योजना की एक प्रति के साथ, संबंधित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को भी प्रज्ञापना के लिए और संहिता की धारा 144-क की उपधारा (2) के अधीन भू-अभिलेख में प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 में उपबंधित है, पृष्ठांकित की जाएगी।

(8) उस दशा में, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्धन योजना को मंजूर करने से इंकार किया जाता है, तो वह ऐसे इंकार के लिए कारण अभिलिखित करेगा और ऐसा आदेश आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(9) यदि प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक है तो उपनियम (8) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वन-संरक्षक के समक्ष की जाएगी, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील, इन्कार किए जाने के आदेश के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। वन संरक्षक, [2](लुप्त) तथा संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा। वन संरक्षक का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकर होगा। इस विनिश्चिय की संसूचना आवेदक को लिखित में दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

6. प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन - (1) सक्षम प्राधिकारी से मंजूर की गई प्रबन्ध योजना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथास्थिति, प्रत्येक भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, प्रबन्धन योजना का विधानों तथा शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन करेगा।

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा "लोक वन" के लिए योजना में किए गए विधानों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) यथास्थिति भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा संबंधित वन क्षेत्रपाल तथा तहसीलदार को योजना क्षेत्र में वृक्षों को काटकर गिराने की प्रस्तावित तारीख संबंधी प्रज्ञापना देगी। यह प्रज्ञापना वृक्षों को काटकर गिराए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी।

(4) प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति, काटकर गिराए जाने वाले वृक्षों का रजिस्टर, प्रबन्ध योजना में यथा विहित प्ररूप (फॉर्मेट) में रखेगा।

(5) अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अनुसार काटकर गिराने की संक्रिया से प्राप्त वन उपज का परिवहन, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन किया जाएगा।

(6) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में घोषित वन उपज का निपटारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होगा।

(7) प्रबन्धन योजना में विहित समस्त संक्रियाएँ विनिर्दिष्ट समय में पूर्ण की जाएंगी। यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किन्हीं अकल्पित कारणों से निष्पादित नहीं होती है तो योजना का आगामी क्रियान्वयन ऐसे समय तक, जब तक कि पूर्व वर्ष के लिए विहित संक्रियाएँ पूर्ण नहीं हो जाती, निलंबित रहेगा।

7. प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन का मानीटर किया जाना - (1) प्रत्येक विकास खण्ड अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुमोदित प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाएगा यथा उसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट होगा। समिति, सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणियों तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, किसी भी पदाधिकारी, निकाय या अभिकरण को, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या कालावधि के लिए ऐसी योजना के क्रियान्वय को मानीटर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

---

1. अधि.क्र. एफ 25.15.2005 दस-2 दिनांक 11.6.2007 से धारा 5 की उपधारा (5) पुन: स्थापित।
2. म.प्र. शासन वन विभाग अधि.क्र.एफ 25-15-05 दस.2 दि. 12.1.06 के अनुसार नियम 5 के उपनियम 3, 7, 9 में चार्टर्ड फोरेस्टर लुप्त।

(2) वन मंडल अधिकारी रिपोर्ट किए गए किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर वन मंडल अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियम 10 में यथा उपबंधित आगे कार्रवाई करने के लिए मामले को उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित करेगा।

8. [1]लुप्त ।

9. [1]लुप्त ।

10. उल्लंघन के लिए दण्ड - (1) उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व), अनुमोदित प्रबन्धन योजना के ऐसे उल्लंघन के संबंध में संबंधित वन क्षेत्रपाल/प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओ सूचना जारी करेगा और सूचना का जवाब फाइल करने के लिए युक्तियुक्त समय देगा।

(2) यदि, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओं सूचना का जवाब, विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रस्तुत करने में असफल रहती है या कारण बताओं सूचना के जवाब पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) मामले का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार 30 (तीस) दिन की कालावधि के भीतर कर सकेगा।

11. अपील - (1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए अपील प्राधिकारी, जिला कलेक्टर होगा।

(2) अपील के लिए आवेदन पत्र, कलेक्टर के प्रवाचक (रीडर) द्वारा प्रापत किया जायेगा और संहिता में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) प्रत्येक अपील के साथ, उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) के उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के साथ मामले के सुसंगत दस्तावेज तथा कोषालय चालान या मांगदेय ड्रॉफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से देय रु. 100/- की फीस, जो वापसी योग्य नहीं होगी, संलग्न होगी।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को स्वयं या आवेदक द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से सुनेगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रतियॉं, अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित किए जाने के लिए, जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, संबंधित उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भेजी जाएगी।

अनुसूची - एक
(नियम 4(5) देखिए)
निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र/निजी वन तथा लोक वन के लिए प्रबन्धन योजना का मानक प्रारूप
(फार्मेट)
भाग - एक
उद्देश्य - संबंधित भू-भाग (ट्रैक्ट) तथा फसल

अध्याय 1. प्रबन्धन योजना के उद्देश्य

अध्याय 2. ग्राम का परिचय

अध्याय 3. निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र/निजी वन/लोक वन का परिचय

(भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित।

3.1 सामान्य

3.2 भूमिस्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि नाम/पिता/पति का नाम

3.3 प्रवर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)

3.4 भूमि स्वामी का डाक का पूरा पता

3.5 भूमिस्वामी की आर्थक प्रास्थिति (केवल निजी क्षेत्रों के मामले में) (कृषि, पशु आय इत्यादि के ब्यौरे)

3.6 पटवारी हल्का क्र./खसरा क्र.

---

1. म.प्र. शासन वन विभाग की अधि. क्र. एफ-25-15-05 दस-2 दिनांक 12.1.06 से नियम 8 तथा 9 लुप्त अधि. म.प्र. राजपत्र असा. दि. 7.6.06 पृष्ठ 537 पर प्रकाशित।

3.7 राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल)/तहसील

3.8 खसरा की अवस्थिति

3.9 क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

3.10 सीमाएं एवं सीमांकन प्रास्थिति

3.11 स्वामित्व की विधिक प्रास्थिति (राजस्व विभाग के खसरा पांच साल के अनुसार)

3.12 विगत 10 वर्षों से खसरे के स्वामित्व के ब्यौरे

3.13 क्या पैतृक सम्पत्ति के रूप में अर्जित की गई या क्रय की गई

3.14 टोपोग्राफी (विशेष यप से 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र)

3.15 मिट्टी का प्रकार तथा गहराई

3.16 खसरे से निकटतम शासकीय वन की दूरी तथा उसके ब्यौरे (प्रकार (टाइप), कम्पार्टमेन्ट क्र./बीट आदि) (क्या खेतों की सीमा शासकीय वन/अन्य निजी वन/वृक्ष आच्छादित क्षेत्र से लगी हुई है।

3.17. भू-भाग में जल की उपलब्धता।

अध्याय 4. फसल का विवरण

4.1 फसल का प्रकार

4.2 स्थल गुणवत्ता

4.3 फसल घनत्व

4.4 फसल का आयु वर्ग

4.5 फसल का स्टाक

(क) टॉप केनोपी

(ख) मिडिल स्टोरी

(ग) ग्राउण्ड फलोरा

(घ) बेल (क्लाइम्बर)

(ड.) घास

(च) औषधीय पौधे

(छ) घास-पात

(ज) गैर काष्ठ वनोपज (एन.टी.एफ.पी.)

(झ) बांस।

4.6 स्टाक मानचित्र (पटवारी के नक्शे पर)
वनस्पति/प्रकार/स्थल गुणवत्ता, घनत्व, आयु वर्ग, रिक्त क्षेत्र आदि)

(क) पूर्व की कटाई/रोपण

(ख) पूर्व की संक्रियाओं का परिणाम

4.7 प्राकृतिक वन/रोपण (सामान्य विवरण एवं वर्तमान परिस्थिति)

4.8 भू-भाग (ट्रेक्ट) का वर्णन

4.9 जैव विविधता की उपलब्धता

4.10 क्षति, जिसके लिए फसल दायी है

अध्याय 5. फसल का विश्लेषण तथा मूल्यांक

5.1 वृक्षों की प्रजातिवार संख्या, आयतन (वालयूम) एवं उसकस मूल्य (संसाधन निर्धारण, आंकलन, अभिलेख की संक्षिप्ति)

5.2 पुनरुत्पादन सर्वेक्षण का परिणाम

5.3 बांस एवं घास की उपलब्धता

5.4 गेर काष्ठ वनोपज (एन.टी.एफ.पी.)/औषधीय पौधों की उपलब्धता

5.5 फार्म फैक्टर

5.6 संवृद्धि दर

5.7 विपणन रुपरेखा

5.8 बाजार मूल्य

भाग - दो
प्रस्तावों का सारांश

अध्याय 1. भविष्य के प्रबन्धन हेतु स्कीम

1.1 प्रबन्धन प्रस्ताव
1.2 उपचार विधान
1.3 पातन चक्र/रोटेशन
1.4 सिलेक्शन गर्थ
1.5 उपचार वर्ग का अवधारण एवं उपचार मानचित्र
1.6 पातन नियम/अन्य उपचार के लिए नियम
(क) वृक्ष
(ख) ग्रीन फ्लोरा
(ग) प्राकृतिक बांस
1.7 वार्षिक प्राप्ति की गणना

अध्याय 2. कटाई

2.1 कटाई योजना
(क) इमारती लकड़ी (टिम्बर)
(ख) ईंधन की लकड़ी
(ग) बांस
(घ) औषधीय पौधे
(ड.) घास
(च) एन.टी.एफ.पी.(लघु वनोपज)
(छ) अन्य
2.2 वनोपज का अनुकूलन, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण
2.3 वनोपज के निवर्तन की प्रस्तावित पद्धति
(क) इमारती लकड़ी (टिम्बर)
(ख) ईंधन की लकड़ी
(ग) बांस
(घ) घास
(ड.) औषधीय पौधे
(च) एन.टी.एफ.पी.(लघु वनोपज)
(छ) अन्य
2.4 सहायक वन वर्धन संक्रियाएँ
2.5 विरलन
2.6 काट-छाँट
2.7 मृत वृक्षों, आंधी से उखड़े वृक्षों की कटाई

अध्याय 3. रोपण

3.1 खाली स्थानों में रोपण (गेप प्लान्टिंग)
3.2 सागौन रोपण
3.3 बांस रोपण
3.4 अन्य प्रजातियों का रोपण

अध्याय 4. सुरक्षा एवं सुधार के उपाय

4.1 चराई से सुरक्षा
4.2 अग्नि सुरक्षा
4.3 अन्य
4.4 जैव विविधता संरक्षण

अध्याय 5. अनुमानित औसत वार्षिक व्यय तथा आय

अध्याय 6. अभिलेख चिन्हांकित करने (फार्मेट) कआई संबंधी रजिस्टर का प्ररूप फार्मेट (लोक वानिकी नियम, 2002 का नियम 6(4) देखिए)

अध्याय 7. प्रबन्धन योजना क्रियान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 7 देखिए)

अध्याय 8. योजना क्षेत्र के शासकीय वन से लगे होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाये गये रक्षोपाय।

प्रबन्धन योजना से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हों।
2. भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
3. सीमांकन प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो
4. स्टाक मानचित्र
5. भमिस्वामी की लिखित सहमति (संयुक्त खाते की दशा में समस्त भागीदारों की सहमति)
6. सर्वे के परिणाम/निर्धारण रिपोर्ट, यदि कोई हो।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुसूची - दो
(नियम 5(6) देखिए)
(प्ररूप 3 के साथ पठित)

(क) शर्ते/निर्बन्धन, जिनके अध्यधीन यह योजना अनुमोदित की जा रही है -

1. प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा। भूमि स्वामी को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के पूर्व इन उपबंधों को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ ले।

2. योजना के क्रियान्वयन के दौरान, किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और कार्यपालिका अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी।

3. क्षेत्र का प्रबन्ध, योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि के उपयोग के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) दशाएँ, जिसमें यह मंजूरी रद्द की जा सकेगी :

1. उपरोक्त (क) में वर्णित किन्हीं शर्तों/निर्बन्धनों का उल्लंघन।
2. .....

(सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी बिन्दु, जो आवश्यक हो)

3. .....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय -

(यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाइप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबंध किया जाना है)

1. इस प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार भूमि स्वामी पर होगा (उस इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज उसके खसरे से उठाई जा रही है वह इस योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटकर गिराये गये वृक्षों की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है)।
2. यदि क्षेत्र का सीमा का भाग, शासकीय वन से संलग्न है तो भूमिस्वामी उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगा। यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखाओं या वृक्षों पर लगाये गये कोलतार के पट्टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो वह संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा। राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उसके खातों पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाये गये ऐसे किन्हीं चिन्हों को भी वह सही दशा में बनाये रखेगा।
3. मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (7) की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है "प्रबन्धन योजना में विहित समस्त संक्रियाएँ विनिर्दिष्ट समय पर पूर्ण की जाएगी। यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किसी अकल्पित कारण से निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना का और क्रियान्वयन, पिछले वर्ष के लिए विहित संक्रियाओं के पूर्ण होने तक निलंबित रहेगा।"

पृष्ठांकन क्र. ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. जिला कलेक्टर, ... जिला की ओर मध्यप्रदेश की लोक वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 4(8) के पालन के लिये।
2. श्री ..... (भूमिस्वामी का नाम)
3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची - तीन
(नियम 5(6) देखिए)
(प्ररूप 4 के साथ पठित)

(क) शर्ते/निर्बन्धन, जिनके अध्यधीन यह योजना अनुमोदित की जा रही है -

1. लोक वन के लिए प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा। ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के पूर्व इन उपबन्धों को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ ले।
2. प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और कार्यपालिक अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी।
3. क्षेत्र का प्रबन्ध, प्रबन्ध योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि के उपयोग के प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) दशाएँ, जिसमें यह मंजूरी रद्द की जा सकेगी :

1. उपरोक्त (क) में वर्णित किन्हीं शर्तों/निर्बन्धनों का उल्लंघन।
2. .....

   (सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी बिन्दु, जो आवश्यक हो)
3. .....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय -

(यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाइप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबन्ध किया जाना है)

1. इस प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा पर होगा (संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज लोकवन से उठाई जा रही है वह इस प्रबन्धन योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटे गये वृक्षों की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है)।
2. यदि क्षेत्र का सीमा का भाग, शासकीय वन से सटा हुआ है तो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगा। यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखाओं या वृक्षों पर लगाये गये कोलतार के पट्टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि, संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा। संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खाते पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाये गये ऐसे किन्हीं चिन्हों को भी सही दशा में बनाये रखेगी।
3. मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (7) की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है "प्रबन्धन योजना में विहित समस्त संक्रियाएँ विनिर्दिष्ट समय पर पूर्ण की जाएंगी। यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किसी अकल्पित कारण से निष्पादित नहीं की जाती है तो प्रबन्धन योजना का और क्रियान्वयन, पिछले वर्ष के लिए विहित संक्रियाओं के पूर्ण होने तक निलंबित रहेगा।"

पृष्ठांकन क्र. ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. जिला कलेक्टर, ... जिला की ओर मध्यप्रदेश की लोक वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 4(8) के पालन के लिये।
2. श्री ..... (ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)
3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप - 1

(नियम 5(1) देखिए)

किसी भमिस्वामी क्षेत्र के लिए प्रबन्धन योजना की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जावे)

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. डाक का वर्तमान पता .....
4. तहसील .....राजस्व उप-खण्ड .....
5. पुलिस थाना .....
6. जिला .....
7. उस खसरे का ब्यौरा, जिसके लिए योजना तैयार की गई है :

अनु. क्र.	ग्राम/पटवारी हलका क्रमांक/ खसरा क्रमांक तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	खसरे का / के स्वामी	लगे हुए सर्वे क्रमांक के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					उत्तर- पूर्व - पश्चिम - दक्षिण -

8. ग्राम सभा का नाम, जिसमें खसरा स्थित है ....
9. ग्राम पंचायत का नाम, जिसमें खसरा स्थित है .....
10. योजना तैयार करने वाले [1][व्यक्ति का नाम तथा पता]

चार्टर्ड फारेस्टर का नाम तथा पता	नामांकन कार्यालय	नामंकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)

11. योजना तैयार करने की तारीख

(क) प्रारम्भ की तारीख ..... (ख) पूर्ण होने की तारीख .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... एतद्द्वारा मेरे उक्त खसरा, (पैरा 7 में उपदर्शित) के लिए लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई प्रबन्धन योजना को मंजूर करने के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जा रही प्रबन्धन योजना मेरे द्वारा [1][ ] दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि योजना से संलग्न किये गये दस्तावेज, भूमि तथा उस पर खड़े वृक्षों पर मेरे विधिक स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियाँ हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं का समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबन्धन योजना, इस आवेदन पत्र के पैरा 7 में उल्लिखित क्षेत्र को ही लागू होती है तथा इसमें ऐसी कोई बात अन्तर्विष्ट नहीं है जिसका मेरे विधिक कब्जे से बाहर निकटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव हो।

इस आवेदन पत्र के माध्यम से मैं यह वचन देता हूँ कि उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूँगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रबन्धन योजना मंजूर की जएगी।

साक्षी : (पूरा नाम तथा पता सहित)

1. .....
2. .....

---

1. म.प्र. शासन वन विभाग की अधि.क्र. एफ 25-15-05 दस-2 दि. 18.1.06 से लुप्त ।

भूमिस्वामी का नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

टीप : यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा।

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा लगाने तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के बाद आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएंगी। इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले संसूचना-पत्र से संलग्न की जाएगी।

प्ररूप - 2

(नियम 5(2) देखिए)

लोक वन के लिए तैयार की गई प्रबन्ध योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जावे)

1. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का नाम, जिसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है …….. जनपद पंचायत, जिसमें स्थित है .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. डाक का वर्तमान पता .....
5. तहसील .....राजस्व उप-खण्ड .....

   पुलिस थाना .....जिला.....
6. राजस्व भूमि के ब्यौरे, जिसके लिए योजना बनाई गई है -

अनु. क्र.	ग्राम/पटवारी हलका क्रमांक/ खसरा क्रमांक तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	लगे हुए सर्वे क्रमांकों के ब्यौरे	कोई अन्य ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					उत्तर- पूर्व - पश्चिम - दक्षिण -

7. जिला कलेक्टर का आदेश क्रमांक तथा दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र लोक वन के रूप में प्रबन्धन के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सौंपा गया .....
8. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के ब्यौरे, जिसके द्वारा आवेदक को उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है .....
9. योजना तेयार करने वाले [1][का नाम तथा पता]

योजना तैयार करने वाले का नाम तथा पता	नामांकन स्थान और कार्यालय	नामंकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)

10. योजना तैयार करने की तारीख -

    (क) प्रारम्भ की तारीख ..... (ख) पूर्ण होने की तारीख .....

1. म.प्र. शासन वन विभाग की अधि.क्र. एफ 25-15-05 दस-2 दि. 18.1.06 द्वारा संशोधित।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... ग्राम पंचायत/ग्राम सभा .... द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में उसकी ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नाम निर्देशित किया गया हूँ, एतद्द्वारा, लोक वन के रूप में प्रबन्धन किए जाने के लिए बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई वैज्ञानिक प्रबन्ध योजना के अनुमोदन के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूँ।

मैं, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा .... की ओर से प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र के पैरा 6 में दर्शाया गया क्षेत्र लोक वन के रूप में प्रबन्ध हेतु, जिला कलेक्टर द्वारा पूरी तरह सीमांकित कराया जाकर ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सौंप दिया गया है।

मैं ग्राम पंचायत/ग्राम सभा .... की ओर से यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही प्रबन्धन योजना, [1][लुप्त] ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि योजना से संलग्न किए दस्तावेज, भूमि के तथा उस पर खड़े वृक्षों के विधिक स्वामित्व के मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियाँ हैं। मैने स्वयं का व्यक्तिगत रूप से समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबन्धन इस आवेदन पत्र के पैरा 6 में उल्लिखित क्षेत्र पर ही लागू होती है तथा इसमें ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जिसका प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ता है।

इस आवेदन पत्र के माध्यम से यह भी वचन देता हूँ कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा .... की राय से कार्य करते हुए उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूँगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रबन्धन योजना अनुमोदित की जाएगी।

साक्षी : (पूरा नाम तथा पता सहित)

1. ....

2. ....

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख ....

स्थान ....

टीप : यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा।

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा लगाने तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी। इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले संसूचना-पत्र से संलग्न की जाएगी।

प्ररूप - 3

(नियम 5(6) देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का आदेश (भूमि स्वामी क्षेत्र के लिए)

आदेश क्र. .... दिनांक ....

कार्यालय की मुद्रा

श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... द्वारा उनके खाते के लिए प्रबन्धन योजना के मंजूरी के संबंध में आवेदन पत्र दिनांक .... के संदर्भ में निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है :

आवेदक की .... जिले के राजस्व उप-खण्ड .... की तहसील .... के ग्राम .... के खसरा क्रमांक .... के लिए प्रबन्धन योजना, एतद्द्वारा, दिनांक .... से प्रारम्भ और .... को समाप्त होने वाले .... वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची-दो में संगणित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन अनुमोदित की जाती है।

इस अनुमोदित प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन .... द्वारा मानीटर किया जाएगा।

तारीख ....

स्थान .... सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

---

1. म.प्र. शासन वन विभाग की अधि.क्र. एफ 25-15-05 दस-2 दि. 18.1.06 से लुप्त।

प्ररूप - 4

(नियम 5(6) देखिए)

लोक वन के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश

आदेश क्र. ..... दिनांक .....

कार्यालय की मुद्रा

..... ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की ओर से श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री..... निवासी ..... द्वारा लोक वन के रूप में प्रबन्धन किए जाने वाले राजस्व क्षेत्र हेतु प्रबन्धन योजना की मंजूरी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक ..... के संदर्भ में निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है :

आवेदक की ..... जिले के राजस्व उप-खण्ड ..... की तहसील ..... के ग्राम ..... सर्वे क्रमांक ..... के लिए प्रबन्धन योजना, दिनांक ..... से प्रारम्भ और दिनांक ..... को समाप्त होने वाले ..... वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची तीन में संगणित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन अनुमोदित की जाती है।

इस मंजूर की गई प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन ..... द्वारा मानीटर किया जाएगा।

तारीख .....

स्थान ..... सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

[1]**प्ररूप - 5. लुप्त ।**

[1]**प्ररूप - 5. लुप्त ।**

[1]**प्ररूप - 5. लुप्त ।**

---

1. म.प्र. शासन वन विभाग की अधि.क्र. एफ 25-15-05 दस-2 दि. 18.1.06 से प्ररूप क्र. 5, 6, 7 लुप्त।